



कार्यालय आदेश

सत्र-2021-23 में नामांकित सभी प्रशिक्षुओं को निर्देश दिया जाता है, कि जो प्रशिक्षु नामांकन के उपरान्त टी.सी. एवं अन्य कागजात महाविद्यालय में जमा नहीं किये हैं, एक दिन के अंदर दिनांक-01.12.2021 तक जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में नामांकन रद्द किया जाएगा।


30/11/21
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
सुआसन-मनहरा, मधेपुरा।

ज्ञापांक-128.....मधेपुरा, दिनांक-30/11/2021

प्रतिलिपि:- गौतम इन्फोटेक प्रा.लि. मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।


30/11/21
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
सुआसन-मनहरा, मधेपुरा।